[2021] 1 एस. सी. आर. 1013

वी. एन. सार्वजनिक स्वास्थ्य और शैक्षिक विश्वास ई. टी. सी.

वी.

केरल राज्य और ओ. आर. एस. ईटीसी।

(2021 की सिविल अपील Nos.703-704)

24 फरवरी, 2021

[ए. एम. खानविलकर, बी. आर. गवई और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956-अपीलार्थी ने शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र (ई. सी.) देने की मांग की।

राज्य सरकार द्वारा आवेदन खारिज कर दिया गया-अंततः, एकल न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ उक्त आदेश को रद्द कर दिया और आगे का अवसर देते हुए शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के बजाय शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए आवेदन करने के लिए अपीलार्थी-अपीलार्थी द्वारा दायर समीक्षा याचिका,

खारिज कर दिया गया-खंड पीठ ने शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया, इसके बजाय प्रतिवादियों को शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अपीलकर्ता के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया-अपील पर कहा गया: सशर्त अनिवार्यता प्रमाणपत्र पहली बार 2004 में कमियों को दूर करने के अधीन जारी किया गया था-तब से 17 साल बीत चुके हैं और अपीलकर्ता कमियों को दूर करने और एमसीआई से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा है-अपीलकर्ता लंबे समय से अपनी जिम्मेदारी से बचने और उच्च न्यायालय से सहमति के लिए आदेश प्राप्त करके न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से कमी को भरने की कोशिश कर रहा है।

संबद्धता (सी. ओ. ए.) और एम. सी. आई. के समक्ष इसके विलंबित अधूरे आवेदनों पर विचार-2015 और 2020 में किए गए निरीक्षणों में, अपीलार्थी को उचित सुविधाओं की कमी पाई गई अपीलार्थी को अस्पताल चलाने में कोई वास्तविक रुचि नहीं है और इस प्रकार, एमसीआई के समक्ष ईसी, सीओए या उसके आवेदनों को अस्वीकार करने पर गलत नहीं कहा जा सकता है-इसके अलावा, शैक्षणिक वर्ष के लिए एक नया मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए निर्धारित समय बहुत पहले समाप्त हो गया है-यहां तक कि वर्ष की अंतिम तिथि भी जो कोविड-19 महामारी को देखते हुए 15.12.20 तक बढ़ा दी गई थी, अब तक समाप्त हो गई है इसलिए, राज्य सरकार या विश्वविद्यालय को वर्ष 2020-2021 के लिए अपीलार्थी को ईसी या सीओए जारी करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है-मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल कॉलेज रेगुलेशन, 1999 -

विनियम 8 (3)-केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय प्रथम संविधि,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2013 - अध्याय 21-मेडिकल कॉलेज विनियमों की स्थापना (संशोधन), 2015। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 - एस. 10-ए-आवश्यक प्रमाणपत्र की आवश्यकता-के तहत चर्चा की गई।

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 अनिवार्यता जारी करना

प्रमाणपत्र, यदि एक मंत्री पद-आयोजित: अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करना/फिर से जारी करना किसी भी तरह से मंत्री का काम नहीं है-एक पेशेवर कॉलेज में मानकों को बनाए रखने के मामले से निपटने के लिए, सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए-शिक्षा।

केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय प्रथम संविधि, 2013-अध्याय XXI-खंड X (I)-संबद्धता अनुदान-पर चर्चा की गई।

शिक्षा-नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना

अनिवार्यता प्रमाणपत्र (ई. सी.) की वापसी-आयोजित: राज्य सरकार के पास ई. सी. को वापस लेने की शक्ति है जहां यह धोखाधड़ी करके प्राप्त किया जाता है या जहां उसी आधार पर जिस पर ई. सी. दिया गया था, गायब हो जाता है या इसी तरह के किसी अन्य कारण से भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने पकड़ना: 1.1 एक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से ईसी की आवश्यकता होती है।

इससे पहले कि वह एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त करे। ई. सी. की आवश्यकता को लागू करने वाली विधायी योजना भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 10 (ए) में निर्धारित की गई है, जिसके लिए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना या अध्ययन या प्रशिक्षण का एक नया पाठ्यक्रम खोलने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति या मेडिकल कॉलेज को केंद्र सरकार को निर्धारित के अनुसार एक योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। केंद्र सरकार तब इस योजना को अपनी सिफारिशों के लिए एम. सी. आई. को भेजती है। चिकित्सा परिषद को इस पर विचार करना चाहिए और आवश्यक विवरण प्राप्त करके खुद को संतुष्ट करना चाहिए और दोषों को दूर करने के बाद, केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देनी चाहिए। द सेंट्रल

सरकार, योजना की प्राप्ति पर, इसे सशर्त रूप से मंजूरी दे सकती है या इसे अस्वीकार कर सकती है। [पैरा 16] [1033-डी-एफ]

1.2 चिकित्सा की स्थापना की अनुमति देने की शक्ति

इस प्रकार महाविद्यालय को एम. सी. आई. वी. एन. पब्लिक हेल्थ एंड एडुकेशनल ट्रस्ट ई. टी. सी. द्वारा केंद्र सरकार को प्रदान किया जाता है।

केरल राज्य

एक्ट करें। एम. सी. आई. अधिनियम की धारा 33 के साथ पठित धारा 10 (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अर्हता मानदंड निर्धारित किए गए थे। ये मानदंड चिकित्सा संस्थान स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन करने की पात्रता निर्धारित करते हैं।

महाविद्यालय। मानदंडों में से एक यह है कि जो व्यक्ति मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का इच्छुक है, उसे एक अनिवार्यता प्राप्त करनी चाहिए।

विनियमों के प्रपत्र 2 में निर्धारित प्रमाण पत्र, प्रमाणित करने वाला

कि राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को प्रस्तावित चिकित्सा की स्थापना पर कोई आपत्ति नहीं है प्रस्तावित स्थल पर महाविद्यालय और पर्याप्त नैदानिक सामग्री की उपलब्धता। इस प्रकार, राज्य सरकार को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता है कि उसने आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करने का निर्णय लिया है।

एक निर्दिष्ट संख्या के साथ एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना जनहित में सीटें और आगे इस तरह की स्थापना संभव है। [पैरा 17] [1033-एफ-एच; 1034-ए]

2. प्रपत्र 2 जिसमें निर्वाचन आयोग प्राप्त किया जाना चाहिए, उन तथ्यों को इंगित करता है जिन्हें यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक माना जाता है कि क्या

यह अनिवार्य है कि संबद्धता की सहमति केवल संस्थान द्वारा आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही दी जा सकती है। अपीलार्थी का यह तर्क कि अनिवार्यता प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति विचार के लिए कारकों में से एक नहीं है और निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए बाहरी है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रदान करते समय, राज्य सरकार निजी शैक्षणिक संस्थान के दायित्वों को संभालने का कार्य करती है। उस संस्थान के संस्थान की स्थापना करने या उसमें शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ होने की स्थिति। राज्य सरकार की ओर से ऐसा उपक्रम स्पष्ट है और

चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त घोषित करने वाले एक चिकित्सा महाविद्यालय को वैध बनाता है और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करता है। हितधारकों का कहना है कि आवेदक महाविद्यालय बुनियादी मानदंडों को पूरा करेगा [2021] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एमसीआई द्वारा एक मेडिकल कॉलेज शुरू करने और संचालित करने के लिए निर्दिष्ट।

यह ध्यान में रखते हुए कि एक कॉलेज के उचित अस्तित्व और एक मौजूदा कॉलेज के अनियमित/अवैध कामकाज का सवाल चीजों के एक अलग क्रम से संबंधित है और इसे मिश्रित नहीं किया जा सकता है, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर आता है कि एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करना/फिर से जारी करना किसी भी तरह से एक मंत्री का काम नहीं है और एक पेशेवर कॉलेज में मानकों को बनाए रखने के मामले पर विचार करते समय, सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए क्योंकि ये कॉलेज यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि मेडिकल स्नातक के पास देश में डॉक्टर के रूप में काम करने के लिए आवश्यक कौशल है। खराब मूल्यांकन प्रणाली;

मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि; रोगियों/नैदानिक सामग्रियों की कमी; प्रवेश में योग्यता का अवमूल्यन, विशेष रूप से

निजी संस्थानों में; कैपिटेशन शुल्क में वृद्धि; एक कमजोर मूल्यांकन और मान्यता प्रणाली, चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को परेशान करने वाली समस्याएं हैं। इस तरह के अभाव वाले कॉलेजों को काम करना जारी रखने की अनुमति देना छात्र समुदाय के भविष्य को खतरे में डालता है और अक्षम डॉक्टरों को ऐसे कॉलेजों से स्नातक करने के लिए प्रेरित करता है और अंततः समाज के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करता है जो बड़े पैमाने पर अनिवार्यता प्रमाण पत्र के उद्देश्य को विफल कर देता है

राज्य द्वारा जारी किया गया। यदि राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण नहीं करता है कि आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करने/नवीनीकरण करने से पहले एमसीआई द्वारा निर्धारित आवश्यक मानकों को पूरा किया जाता है तो राज्य अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएगा। यह कोई विस्तार नहीं है कल्पना 'केवल एक मंत्री पद'। विशेष रूप से इस बात पर विचार करते हुए कि राज्य सरकार द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करते समय

यदि मेडिकल कॉलेज आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने में विफल रहता है और केंद्र सरकार द्वारा नए प्रवेश बंद कर दिए जाते हैं, तो राज्य सरकार कॉलेज में पहले से ही भर्ती छात्रों की जिम्मेदारी संभालेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सी. ओ. ए. के संबंध में भी यही स्थिति है। केयूएचएस का पहला क़ानून निर्धारित करता है कि विश्वविद्यालय नियुक्त कर सकता है

प्रस्तावित स्थल की मौजूदा सुविधाओं और उपयुक्तता का भौतिक सत्यापन करने के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने वाला आयोग। संबद्धता का अनुदान उन सभी शर्तों की पूर्ति पर निर्भर करता है जो प्रथम प्रतिमान के खंड X (I) में निर्दिष्ट हैं या जिन्हें निर्दिष्ट किया जा सकता है जिसमें कर्मचारी, बुनियादी सुविधा, अस्पताल, इंटरनेट, पुस्तकालय, खेल का मैदान, छात्रावास आदि शामिल हैं। इस प्रकार, विश्वविद्यालय द्वारा सी. ओ. ए. का अनुदान भी केवल एक अनुदान नहीं कहा जा सकता है।

मंत्री अधिनियम। [पैरा 18,19] [1034-बी; 1035-डी-एच; 1036-ए-जी] वी. एन. सार्वजनिक स्वास्थ्य और शैक्षिक विश्वास ई. टी. सी. वी.

केरल राज्य

3. राज्य सरकार के पास ई. सी. को वापस लेने की शक्ति है जहां इसे धोखाधड़ी करके प्राप्त किया जाता है या जहां इसे वापस लिया जाता है। जिस आधार पर ईसी दिया गया था, वह गायब हो जाता है या इसी तरह का कोई अन्य कारण है। [पैरा 23] [1039-सी]

चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड एन. आर. बनाम पंजाब राज्य और अन्य। (2018) 15 एससीसी 1: [2018] 5 एससीआर

147 – प्रतिष्ठित।

सुख सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 851

- पर भरोसा किया।

4. हाथ में मामले में, भले ही शुरू में एक सशर्त ईसी वर्ष 2004 में कमियों को दूर करने के अधीन दिया गया था और तब से 17 साल बीत चुके हैं, अपीलार्थी

कमियों को दूर करने में असफल और एमसीआई से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। संदर्भ हो सकता है

7 नवंबर, 2020 को किए गए अंतिम संयुक्त निरीक्षण तक किया जाए, जिसमें कई कमियों को नोट किया गया था और वर्ष 2021-2022 के लिए एक आवेदन पर विचार करने के लिए सुविधाएं अपर्याप्त पाई गई थीं। सबस्ट्रेटम के गायब होने के मामले में जो सच है वह समान बल के साथ लागू होता है जहां सबस्ट्रेटम शुरुआत से ही गायब है। अपीलकर्ता संस्थान लंबे समय से अपनी जिम्मेदारी से बचने और एम. सी. आई. के समक्ष संबद्धता की सहमति और विलंबित अधूरे आवेदनों पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त करके न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से कमी को भरने की कोशिश कर रहा है। 2015 और 2020 में दोनों निरीक्षणों में यह पाया गया कि अपीलकर्ता संस्थान में उचित सुविधाओं का अभाव है। भले ही अपीलार्थी दौड़ने का दावा करता है 2006 से एक अस्पताल न तो पर्याप्त सुविधाओं और न ही निरीक्षण पर बुनियादी ढांचे के अस्तित्व में पाया गया। यह अभावपूर्ण रवैया इस तथ्य का प्रमाण है कि अपीलार्थी की उस स्थान पर अस्पताल चलाने में कोई वास्तविक रुचि नहीं है और एमसीआई के समक्ष ईसी, सीओए या उसके आवेदनों की अस्वीकृति पर गलत कहने का कोई आधार नहीं है। इसके अलावा, न केवल शिक्षण संकाय सहित उचित सुविधाएं और बुनियादी ढांचा बिल्कुल आवश्यक है, बल्कि समय सारिणी का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 1999 के विनियमों के विनियम 8 (3) की प्राप्ति के लिए एक अनुसूची प्रदान करता है

केंद्र सरकार और [2021] 1 एस. सी. आर. द्वारा नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए आवेदन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय चिकित्सा परिषद। एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए विनियमों के तहत निर्धारित प्रारंभिक समय अनुसूची को 2015 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के माध्यम से संशोधित किया गया था। विनियम (संशोधन), 2015। बार-बार इस न्यायालय ने

इस बात पर जोर दिया कि नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना या मौजूदा कॉलेजों में प्रवेश बढ़ाने के लिए समय सारिणी का सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्ष 2020-2021 के लिए एक नया मेडिकल कॉलेज शुरू करने की प्राप्ति के लिए निर्धारित समय सारिणी बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। यहां तक कि मौजूदा कोविड-19 महामारी को देखते हुए शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 की अंतिम तिथि, जिसे 15.12.2020 तक बढ़ा दिया गया था, भी अब तक समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार राज्य सरकार या विश्वविद्यालय को ईसी या सीओए जारी करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

वर्ष 2020-2021 के लिए अपीलार्थी भी काल्पनिक रूप से। शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए अपीलार्थी द्वारा मांगी गई राहत प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। [पैरा 24,28-33] [1039-D-E; 1041-B-E, F-G; 1042-D-F]

मृदुल धर (माइनर) और अन्र। बनाम भारत संघ और अन्य। (2005) 2 एससीसी 65: [2005] 1 एस. सी. आर. 380-पर निर्भर। थिरुमुरुगा किरुपानंद वरियार थावथिरु सुंदरा

सावमिगल मेडिकल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम।

तमिलनाडु राज्य और अन्य। (1996) 3 एससीसी 15: [1996] 2 एससीआर 422; आंध्र प्रदेश सरकार और ए. एन. आर. बनाम।

मेडविन एजुकेशनल सोसाइटी एंड ओआरएस। (2004) 1 एस. सी. सी 86

: [2003] 5 पूरक। एस. सी. आर. 408; भारतीय चिकित्सा परिषद

बनाम। प्राचार्य, के. एम. सी. टी. मेडिकल कॉलेज और ए. एन. आर. (2018) 9

एस. सी. सी. 766 2018 (8) जे. टी. 17; भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम। अध्यक्ष, एस. आर. शैक्षिक और धर्मार्थ

ट्रस्ट एंड अदर (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 2276 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1996] 2 एससीआर 422

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[2018] 5 एससीआर 147

प्रतिष्ठित

पै

रा 7

[2003] 5 पूरक। एससीआर 408

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

[2005] 1 एससीआर 380

उस पर भरोसा करें

पैरा 29 वी. एन. पब्लिक हेल्थ एंड एडुकेशनल ट्रस्ट ई. टी. सी. v. केरल राज्य

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 703

704 2021 से।

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , उदयादित्य बनर्जी, सुश्री स्नेहा रवि अय्यर, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए। के. एम. नटराज, एएसजी। , जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री प्रियंका प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश, जी. प्रकाश, सुश्री नीला केदार गोखले,

शरत नांबियार, गुरमीत सिंह मक्कड़, गौरव शर्मा, धवल मोहन, प्रतीक भाटिया, वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर., अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कृष्णा मुरारी, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें केरल उच्च न्यायालय द्वारा रिट अपील संख्या में पारित दिनांक 03.11.2020 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं। 1401 और 2020 का 1413, जिसमें उक्त उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलार्थी द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए विचार की सीमा तक विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशों को संशोधित किया

शैक्षणिक वर्ष 2021-2022।

3. हमारे समक्ष विचार के लिए उत्पन्न होने वाला मुद्दा यह है कि क्या आवश्यक प्रमाणपत्र (इसके बाद 'ईसी' के रूप में संदर्भित) और संबद्धता की सहमति (इसके बाद 'सीओए' के रूप में संदर्भित) अपीलार्थी को वर्ष 2020-2021 के लिए दी जानी चाहिए। जिन अन्य मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे हैं:

(1) क्या राज्य द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र का अनुदान

सरकार केवल एक मंत्रिस्तरीय अधिनियम है?

((ख) क्या एक बार जारी किया गया अनिवार्यता प्रमाणपत्र हो सकता है

वापस ले लिया?

4. संक्षेप में तथ्य:

अपीलार्थी स्वास्थ्य और चिकित्सा में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित एक न्यास है। एक मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए, अपीलार्थी का दावा है

2006 में पलक्कड़ जिले के वालयार में 300 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित करने के लिए। अपीलार्थी द्वारा स्थापित मामले के अनुसार, अपेक्षित [2021] 1 एस. सी. आर.

बुनियादी ढांचे को स्थापित किया गया था और यह वर्ष 2006 से एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार और केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की मनमाने और भेदभावपूर्ण कार्रवाई के कारण ईसी और सीओए को अस्वीकार कर दिया गया है। अपने प्रयास में बुरी तरह विफल रहे। अभिवचन में यह दावा किया गया है कि वर्तमान में, अपीलार्थी के अस्पताल में 76 डॉक्टर, 380 नर्स और

एक मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए आवश्यक अन्य सभी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के साथ-साथ पैरामेडिकल कर्मचारी, 4 प्रमुख ऑपरेशन थिएटर, 2 छोटे ऑपरेशन थिएटर। निर्वाचन आयोग को पहली बार 100 सीटों के लिए 24.01.2004 पर अपीलार्थी को अनुमति दी गई थी। हालाँकि, चूंकि यह निर्धारित प्रारूप में नहीं था, इसलिए भारतीय चिकित्सा परिषद (इसके बाद)

'एमसीआई' के रूप में संदर्भित) ने अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। निर्वाचन आयोग को फिर से 100 सीटों के लिए 18.06.2009 पर अपीलार्थी को जारी किया गया था। चूंकि यह निर्धारित समय सीमा से परे था, इसलिए इसे एमसीआई द्वारा फिर से खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी को फिर से दिनांकित एक निर्वाचन आयोग जारी किया गया।

12.01.2011 . हालाँकि, केरल स्वास्थ्य और संबद्ध विज्ञान विश्वविद्यालय (जिसे इसके बाद 'केयूएचएस' के रूप में संदर्भित किया गया है) ने समय-सारिणी के बहुत बाद सीओए को मंजूरी दे दी क्योंकि कॉलेज की स्थापना नहीं की जा सकी थी। यह इंगित करना उचित हो सकता है कि आवश्यक प्रमाणपत्र दिनांकित 12.01.2011

एमसीआई ने शैक्षणिक वर्ष 2014 2015 के लिए आवेदन वापस कर दिया/अस्वीकार कर दिया। वर्ष 2015-2016 के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अपीलार्थी द्वारा किया गया आवेदन सरकार द्वारा वापस कर दिया गया था भारत ने 17.10.2014 दिनांकित पत्र के माध्यम से, इस आधार पर कि प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत सी. ओ. ए. शैक्षणिक वर्ष 2015-2016 के लिए मान्य नहीं था, अपीलार्थी के लिए एक नया आवेदन जमा करने के लिए खुला छोड़ दिया।

शैक्षणिक वर्ष 2016-2017। इस स्तर पर यह ध्यान देना उचित होगा कि अपीलार्थी ने 2014 की रिट याचिका संख्या 29,462 को प्राथमिकता दी थी। उच्च न्यायालय, जिसमें एक अंतरिम आदेश दिनांक 22.11.2014 पारित किया गया था, जिसमें एमसीआई को आवेदन पर अस्थायी रूप से विचार करने का निर्देश दिया गया था और केयूएचएस को नए सीओए के अनुदान के लिए निरीक्षण करने के लिए आगे का निर्देश जारी किया गया था। हालांकि, नए सी. ओ. ए. को मंजूरी नहीं दी जा सकी और वी. एन. पब्लिक हेल्थ एंड एडुकेशनल ट्रस्ट ई. टी. सी. v.

केरल राज्य [कृष्ण मुरारी, जे.]

समय के साथ याचिका को निष्फल कर दिया गया। अपीलार्थी को शैक्षणिक वर्ष 2016-2017 के लिए के. यू. एच. एस. द्वारा अस्थायी सी. ओ. ए. प्रदान किया गया था। यहाँ तक कि

जैसा कि निर्वाचन आयोग का संबंध है, यह राज्य सरकार द्वारा उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए 31.08.2015 पर जारी किया गया था जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि थी और यह गलत प्रारूप में था। अपीलार्थी ने 2015 की रिट याचिका संख्या 25705 दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से राज्य सरकार को प्रारूप को सही करने का निर्देश दिया और केंद्र सरकार को अपीलार्थी के आवेदन पर विचार करने का भी निर्देश दिया। अपीलार्थी को 11.12.2015 पर एक संशोधित निर्वाचन आयोग जारी किया गया था। हालांकि, एमसीआई ने 2016 का एसएलपी (सी) संख्या 5326 इस आधार पर दायर किया कि प्रमाण पत्र देर से जारी किया गया था, इसलिए आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता था। उक्त एस. एल. पी. से उत्पन्न 2016 की सिविल अपील संख्या 3964 को दिनांक 18.04.2016 के निर्णय के माध्यम से अनुमति दी गई थी और उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेशों को खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी के लिए यह खुला छोड़ दिया गया था कि वह समय सारिणी के अनुसार एमसीआई के विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए एक नया आवेदन जमा करे।

अपीलार्थी ने रिट याचिका (सी) संख्या दायर करके फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया। 21581 राज्य सरकार और के. यू. एच. एस. द्वारा उनके आवेदन पर विचार न करने का आरोप लगाते हुए 2017 का 2017 और 2017 का 22103। दिनांकित आदेश देखें 28.09.2017 , राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग के नवीनीकरण के लिए अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया। अपीलार्थी ने 2017 की एक और रिट याचिका (सी) संख्या 40290 दायर की, जिसमें 28.09.2017 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसका निपटारा कर दिया गया था। हालाँकि, उसमें पारित आदेशों पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा रिट अपील यानी 2018 की रिट अपील No.1371 और 2018 की रिट अपील संख्या 1370 में रोक लगा दी गई थी।

शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए, अपीलार्थी ने राज्य सरकार के समक्ष ईसी और सी. ओ. ए. के अनुदान के लिए फिर से आवेदन किया और केयूएचएस, क्रमशः। जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो अपीलार्थी ने 2019 की रिट याचिका संख्या 18238 दायर कर के. यू. एच. एस. को अपने आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की। 2019 की एक अन्य रिट याचिका संख्या 23460 भी दायर की गई थी।

ई. सी. अनुदान के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध करना। के. यू. एच. एस. के खिलाफ निर्देश की मांग करने वाली 2019 की रिट याचिका संख्या 18238 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि भारतीय चिकित्सा परिषद के समक्ष आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई थी। जहाँ तक 2019 की रिट याचिका संख्या 23460 का संबंध है, राज्य को निर्देश देते हुए 04.09.2019 दिनांकित आदेश के माध्यम से इसका निपटारा किया गया था।

सरकार इस मामले में जल्द से जल्द और किसी भी [2021] 1 एस. सी. आर. पर निर्णय लेगी।

संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए और 10 दिन का समय दिया गया है। अपीलार्थी ने फिर से 2019 की रिट याचिका संख्या 25254 को प्राथमिकता दी, जिसमें के. यू. एच. एस. को शैक्षणिक वर्ष के लिए सी. ओ. ए. को संशोधित करने का निर्देश देने की मांग की गई, जिसमें अपीलार्थी के आवेदन पर विचार करने के लिए एक अंतरिम निर्देश जारी किया गया था। दिनांक 27.09.2019 के आदेश के माध्यम से, केयूएचएस ने अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया। अंततः, 2019 की रिट याचिका संख्या 25254 को अपीलार्थी द्वारा दिनांकित 27.09.2019 के आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया। दिनांक 01.10.2019 के आदेश के माध्यम से, राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग के अनुदान के लिए अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया। अपीलार्थी ने 2019 की रिट याचिका संख्या 27266 दायर करके फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।

ईसी के अनुदान के लिए आवेदन। निर्वाचन आयोग के नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार को आदेश देने के लिए भी प्रार्थना की गई। केयूएचएस द्वारा पारित 27.09.2019 दिनांकित आदेश को 2019 की रिट याचिका संख्या 29098 में चुनौती दी गई थी। दिनांक 19.11.2019 के आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने 2019 की रिट याचिका संख्या 27266 का निपटारा किया, जिसमें राज्य सरकार को 30.11.2019 पर या उससे पहले अपीलार्थी को ईसी जारी करने का निर्देश दिया गया और आगे एमसीआई को समय पर प्राप्त नवीनीकृत ईसी को स्वीकार करने का निर्देश दिया गया। उक्त आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर रिट अपील को डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 05.12.2019 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जिसे 2019 के SLP (C) संख्या 3008 में चुनौती दी गई थी। अपीलार्थी ने चुनाव आयोग और सी. ओ. ए. पर जोर दिए बिना याचिकाकर्ता के आवेदन को संसाधित करने के लिए एम. सी. आई. को निर्देश देने की मांग करते हुए 2019 की एक और रिट याचिका संख्या 34275 दायर की। उक्त लिखित याचिका

एमसीआई को निर्देश देते हुए निर्णय 13.12.2019 के माध्यम से निपटाया गया था और

भारत संघ ईसी और सीओए पर जोर दिए बिना अपीलार्थी के आवेदन को संसाधित करेगा, जिसे 2019 के एसएलपी (सी) संख्या 30008 के परिणाम के अधीन बनाया गया था। राज्य सरकार ने इस न्यायालय के समक्ष 13.12.2019 दिनांकित अंतरिम आदेश को चुनौती दी। दिनांक 1 के निर्णय और आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 34275 और 2019 की रिट अपील संख्या 2443 में पारित आदेशों को दरकिनार कर दिया और निर्देश दिया कि रिट याचिकाएं, अर्थात् 2019 की रिट याचिका, 2019 की रिट याचिका, 2019 की रिट याचिका और 2019 की रिट याचिका संख्या 34275 पर एक साथ सुनवाई की जाए और अंत में निर्णय लिया जाए।

इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय और आदेश के अनुसरण में,

उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामलों की सुनवाई की और एक सामान्य निर्णय और दिनांक 12.10.2020 के आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया 2019 का सं. 29098 और 2019 का डब्ल्यू. पी. सं. 34275 और जबकि रिट वी. एन. सार्वजनिक स्वास्थ्य और शैक्षिक विश्वास ई. टी. सी. v.

केरल राज्य [कृष्ण मुरारी, जे.]

2019 की याचिका संख्या 27266 को इस हद तक अनुमति दी गई थी कि एक नया मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए एन. ओ. सी. और ई. सी. से इनकार करने वाले राज्य सरकार के दिनांक 1 के आदेश को दरकिनार कर दिया गया था और रद्द कर दिया गया था, और राज्य सरकार को अपीलार्थी के ई. सी. को जारी/नवीनीकृत करने का निर्देश दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के बजाय शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए आवेदन करने का अवसर दिया, जिसके लिए विवाद उठाया जा रहा था। अपीलार्थी द्वारा दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई। अपीलार्थी ने दो रिट अपील यानी 2020 की रिट अपील संख्या 1413 और 2020 की रिट अपील संख्या 1401 दायर करके विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी। मुख्य चुनौती फैसले के पैराग्राफ 32 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निष्कर्ष के लिए थी कि वर्ष 2020 में एक मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए निर्धारित समय से

2021 यह पहले ही समाप्त हो चुका है और इस प्रकार उक्त शैक्षणिक सत्र के संबंध में कोई राहत नहीं दी जा सकती है। केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सामान्य निर्णय और दिनांक 03.11.2020 के अंतिम आदेश के माध्यम से विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशों को इस हद तक संशोधित किया कि प्रतिवादियों को शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया जा सके। अपीलार्थी को मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए शैक्षणिक वर्ष 2020-2021, डिवीजन बेंच ने राज्य और विश्वविद्यालय को यह देखने के लिए संयुक्त रूप से निरीक्षण करने के लिए समयबद्ध निर्देश दिए कि क्या अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है और क्या 2021-22 के लिए संबद्धता के लिए सहमति दी जा सकती है।

5. शैक्षणिक वर्ष 2020 के लिए राहत देने से इनकार करने से व्यथित

2021 , अपीलार्थी हमारे समक्ष अपील में है।

6. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक तर्क यह है कि अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

यह एक मंत्री पद है और निर्वाचन आयोग का उद्देश्य केंद्र सरकार को यह प्रमाणित करने तक सीमित है कि एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना आवश्यक है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अपीलकर्ता को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 में ही निर्वाचन आयोग और विश्वविद्यालय द्वारा सी. ओ. ए. जारी किया गया था, इसलिए वह 2020 में भी इसके लिए हकदार था। ई. सी. जारी करते समय यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकार को केवल प्रस्तावित स्थान पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की वांछनीयता और व्यवहार्यता पर विचार करना होगा और मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और अन्य नैदानिक सामग्री की उपलब्धता के रूप में प्रमाणित करना होगा और इसे राज्य सरकार द्वारा किसी भी नीतिगत विचार पर नहीं रोका जा सकता है। रिलायंस को निम्नलिखित टिप्पणियों [2021] 1 एस. सी. आर. पर रखा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय द्वारा थिरुमुरुगा किरुपानंद वरियार थावथिरु सुंदरा सावमिगल मेडिकल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में

" 34.इसमें कोई संदेह नहीं है कि नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से संबंधित विनियमों के तहत निर्धारित की गई योजना में निर्धारित योग्यता मानदंडों के लिए शर्तों में से एक यह है कि संबंधित अनिवार्यता प्रमाण पत्र

प्रस्तावित कॉलेज के प्रस्तावित स्थान पर होने की वांछनीयता और व्यवहार्यता राज्य से प्राप्त की जानी चाहिए।

सरकार।

योजना के तहत निर्धारित योग्यता मानदंडों के तहत आवश्यक अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार को केवल प्रस्तावित स्थान पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज होने की वांछनीयता और व्यवहार्यता पर विचार करना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा किसी भी नीति पर अनिवार्यता प्रमाणपत्र को नहीं रोका जा सकता है।

विचार क्योंकि एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के मामले में नीति अब केंद्रीय के पास है

अकेले सरकार।

7. अपीलार्थी की ओर से आगे यह तर्क दिया गया कि राज्य के पास एक बार और एक बार दिए गए निर्वाचन आयोग को वापस लेने की शक्ति नहीं है जारी किया गया, वही वैध रहेगा। दलीलों का समर्थन करने के लिए, चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और अन्र में निर्णय में निम्नलिखित अवलोकन पर भरोसा किया गया था। बनाम पंजाब राज्य & Ors.[2]

" किसी भी प्राधिकरण को अनुमति देना अनुज्ञेय नहीं होगा, जिसमें

राज्य सरकार जो केवल एक अनिवार्यता जारी करती है

केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने की अनुमति प्राप्त मेडिकल कॉलेज के अस्तित्व को समाप्त करने वाली किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रमाण पत्र। इस प्रकार राज्य सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं कर सकती है। इसके अलावा, अनिवार्यता प्रमाणपत्र का उद्देश्य केंद्र सरकार को यह प्रमाणित करने तक सीमित है कि एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना आवश्यक है। यह इससे आगे नहीं जाता है। दूसरे शब्दों में, एक बार जब राज्य सरकार प्रमाणित कर देती है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना उचित है, तो यह बाद के चरण में नहीं हो सकता है

1 (1996) 3 एससीसी 15

उनका कहना है कि कॉलेज की स्थापना का कोई औचित्य नहीं था। निश्चित रूप से, एक व्यक्ति जो राज्य सरकार के आश्वासन पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करता है कि

प्रतिष्ठान को बाद के चरण में उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि उसे ऐसा करने की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं था। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसे समाप्त होने के बाद समाप्त माना जाना चाहिए। निश्चित रूप से धोखाधड़ी के मामलों को छोड़कर, प्रयोग किया गया। समता आ निष्पक्षताक नियम आ प्रतिज्ञात्मक रोक-टोक एहि न्यायालयकेँ विपरीत दृष्टिकोण रखबाक अनुमति नहि दैत छैक।

8. प्रतिवादी नं. द्वारा जाँच के दायरे की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। 2 / विद्वानों द्वारा सी. ओ. ए. जारी करने के लिए विश्वविद्यालय याचिकाकर्ता के लिए वकील। यह बताया गया कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना के संबंध में पूरा क्षेत्र एमसीआई अधिनियम द्वारा शासित है और मेडिकल कॉलेज की स्थापना के संबंध में सभी पहलू इस पर निर्भर करते हैं -

चिकित्सा परिषद और केंद्र सरकार, इस प्रकार विश्वविद्यालय की भूमिका संबद्धता प्रदान करने तक सीमित है। इसके अलावा, संबद्धता केवल एक योग्यता मानदंड है और विश्वविद्यालय एमसीआई की भूमिका को अपने लिए निरस्त नहीं कर सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में पाया गया है। वह प्रस्तुत करता है कि एमसीआई अधिनियम और उसके तहत विनियम एमसीआई द्वारा निरीक्षण के लिए प्रदान करते हैं जिसे बुनियादी सुविधाओं, प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमताओं आदि का मूल्यांकन करना होता है और अपनी सिफारिश प्रस्तुत करनी होती है।

9. राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयदीप गुप्ता ने कहा कि ईसी/सीओए का अनुदान किसी भी तरह से उचित नहीं है।

अपीलार्थी और वह अवसंरचना और अन्य नैदानिक सामग्री एक नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। इसे यह भी वचन देना होगा कि यदि मेडिकल कॉलेज एमसीआई द्वारा निर्धारित उचित सुविधा प्रदान करने में असमर्थ है, तो अगले वर्ष वह वैकल्पिक मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए जगह खोजने के लिए बाध्य होगा। समर्थन करने के लिए उपरोक्त, आंध्र प्रदेश सरकार और ए. एन. आर. में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता रखी गई है। बनाम मेडविन एजुकेशनल सोसाइटी और Ors.[3] 3

10. श्री गुप्ता आगे तर्क देते हैं कि निर्णय में

थिरुमुरुगा का मामला (सुप्रा) के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं किया गया था

3 (2004) 1 एससीसी 86 [2021] 1 एस. सी. आर.

1999 में बनाए गए विनियमों द्वारा राज्य सरकार और स्थानीय विश्वविद्यालय पर जिम्मेदारी डाली गई। उक्त निर्णय का तर्क केवल यह है कि चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10 (ए) के लागू होने के बाद, एम. सी. आई. की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा एक चिकित्सा महाविद्यालय को अनुमति देने का नीतिगत निर्णय लिया जाना था और राज्य सरकार इस आधार पर ऐसे आवेदनों को अस्वीकार नहीं कर सकती है राजनीति से। हमारा ध्यान इस न्यायालय द्वारा 2020 की सिविल अपील संख्या 2920 में पारित निर्णय और आदेश में पक्षों के बीच 2020 की सिविल अपील संख्या 2921 के साथ की गई टिप्पणियों की ओर भी आकर्षित किया गया था। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नीति के आधार पर आदेश को रद्द करने से ईसी या सीओए का अनुदान स्वतः नहीं मिलता है। उक्त निर्णय से निम्नलिखित टिप्पणियों को निकालना प्रासंगिक हो सकता है:

" चूंकि कई विचार सामान्य हो सकते हैं, इसके लिए अनुदान

संबद्धता और अनिवार्यता प्रमाणपत्र की सहमति कई कारकों पर निर्भर हो सकती है। सरकार और विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, विभिन्न पहलुओं की जांच की जानी है। केवल नीति पर पारित आदेश को रद्द करके, अनुदान

अनिवार्यता प्रमाणपत्र या संबद्धता के लिए सहमति का स्वतः पालन नहीं होता है। उन पर विचार किया जाना चाहिए

प्रचलित मानदंड "।

11. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी की ओर से तर्क कि चूंकि उसे विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2015 में सी. ओ. ए. दिया गया है और इसलिए, वह 2020 में इसका हकदार है, बिना किसी गुण के है। यह बताया गया है कि वर्ष 2015 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए सहमति दी गई थी, जिसमें भारतीय चिकित्सा परिषद को आवेदन करने के लिए अस्थायी संबद्धता देने का निर्देश दिया गया था। अस्थायी संबद्धता देने के बाद, अपीलार्थी संस्थान का निरीक्षण वर्ष 2015 में किया गया था और यह पाया गया कि इसमें न तो बुनियादी ढांचा है और न ही मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए अन्य आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करता है। उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि एमसीआई विनियमों के साथ-साथ केरल स्वास्थ्य और विज्ञान विश्वविद्यालय के क़ानूनों में जोर देकर कहा गया है कि संस्थान द्वारा आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही सीओए दिया जा सकता है। वर्तमान मामले में,

अपीलकर्ता संस्थान ने आज तक किसी भी आवश्यकता को पूरा नहीं किया है और इसलिए वह सी. ओ. ए. के अनुदान का हकदार नहीं है। 12. विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा 07.11.2020 पर

किए गए संस्थान के निरीक्षण पर भरोसा रखा गया था, जिसमें यह वी. एन. सार्वजनिक स्वास्थ्य और शैक्षिक विश्वास ई. टी. सी. v.

केरल राज्य [कृष्ण मुरारी, जे.]

यह पाया गया कि संस्थान के पास आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं है। इसमें 60 की आवश्यकता के मुकाबले केवल 18 आई. सी. यू. बिस्तर थे और अस्पताल में कोई ब्लड बैंक नहीं था, यहां तक कि आवश्यक प्रयोगशाला भी थी।

वहाँ नहीं है और अधिकांश परीक्षण अपीलार्थी द्वारा आउटसोर्स किए जाते हैं। 72 बिस्तरों में से केवल 24 बिस्तर भरे हुए थे और एक टिप्पणी की गई है

निरीक्षण दल कि आई. पी. भर्ती के लिए कुछ रोगियों की वास्तविकता संदिग्ध है और प्रलेखन निरीक्षण निष्कर्षों के साथ सह-संबंधित नहीं है। संकाय के संबंध में, 32 प्रतिशत की कमी थी और शिक्षक, प्रदर्शक-एस. आर. की कमी 78 प्रतिशत थी। जाँच समिति ने स्पष्ट रूप से एक निष्कर्ष दर्ज किया कि अपीलकर्ता संस्थान मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का हकदार नहीं है। उन्होंने निरीक्षण रिपोर्ट में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का भी संदर्भ दिया, जिसमें निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों को वस्तुतः स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया

भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम। प्राचार्य, के. एम. सी. टी. मेडिकल कॉलेज और ए. एन. आर. और भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम। अध्यक्ष, एस. आर. एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य।

13. भारतीय चिकित्सा परिषद (सुप्रा) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय ने बार-बार कहा है कि

विशेषज्ञ निकाय की सिफारिश के आधार पर भारत संघ को हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और हस्तक्षेप की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कॉलेज क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों को प्रत्यक्ष रूप से विकृति या दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रदर्शित करता है। अध्यक्ष के मामले में, एस. आर. एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और ए. एन. आर. (सुप्रा), इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

" उसी समय उच्च न्यायालय ने निरीक्षण का आदेश दिया है और यदि कमियां पाई जाती हैं तो भारतीय चिकित्सा परिषद और सरकार। भारत सरकार को उचित निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है। इस तरह के आदेश छात्रों के पूरे कैरियर को बर्बाद कर सकते हैं। एक बार छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति मिल जाने के बाद, यह ऐसी सशर्त अनुमति नहीं होनी चाहिए। कमियों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रभावी चिकित्सा शिक्षा के खिलाफ होगा और वंचित चिकित्सा को अनुमति देने के बराबर होगा।

कॉलेज बिना उचित चिकित्सा शिक्षा प्रदान करेगा

बुनियादी ढांचा और संकाय, रोगी इस तरह के दृष्टिकोण से शिक्षण के उद्देश्य के रूप में काम करते हैं, अंततः समाज के हित को नुकसान होगा और आधे-अधूरे डॉक्टरों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है।

4 (2018) 9 एस. सी. सी. 766

5 (2018) एससीसी ऑनलाइन एससी 2276 [2021] 1 एस. सी. आर.

उचित शैक्षिक प्रशिक्षण के अभाव में रोगियों के जीवन से निपटने के लिए ड्रोन और परजीवी जैसे समाज। यह होगा।

खतरनाक होना और फिर से मामले में जीवन का अधिकार

असंबद्ध चिकित्सा महाविद्यालयों को शिक्षा प्रदान करने की अनुमति है

उचित सुविधाओं के बिना घटिया चिकित्सा शिक्षा और बुनियादी ढांचा "।

14. हमने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचार और विश्लेषण किया है

पार्टियाँ। 15. मामले में आगे बढ़ने से पहले, भारतीय चिकित्सा परिषद की उपयुक्त धाराओं और नियमों को संदर्भित करना प्रासंगिक हो सकता है।

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 और मेडिकल कॉलेज विनियम, 1999 की स्थापना और के. यू. एच. एस. अधिनियम की पहली प्रतिमा, 2013:

" भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 10-ए

(इसके बाद एमसीआई अधिनियम) को इसके नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

धारा 10-ए। स्थापना के लिए अनुमति

नया मेडिकल कॉलेज, अध्ययन ई. टी. सी. का नया पाठ्यक्रम। (1) इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद

उस समय लागू अन्य कानून:

(i) अध्ययन या प्रशिक्षण का एक नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलें जो इस तरह के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के छात्र को स्वयं को अर्हता प्राप्त करने में सक्षम बनाना।

किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता के पुरस्कार के लिए; या

((ii) अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में अपनी प्रवेश क्षमता बढ़ाएँ या

प्रशिक्षण (अध्ययन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित या

इस खंड में। स्पष्टीकरण 1-। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "व्यक्ति" में कोई विश्वविद्यालय या न्यास शामिल है, लेकिन इसमें शामिल नहीं है -

केंद्र सरकार।

स्पष्टीकरण 2. - इस धारा के प्रयोजनों के लिए अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी भी पाठ्यक्रम के संबंध में "प्रवेश क्षमता" एन. सार्वजनिक स्वास्थ्य और शैक्षिक विश्वास ई. टी. सी.

(किसी चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) का अर्थ है छात्रों की अधिकतम संख्या जो परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है।

इस तरह के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में प्रवेश। (2) (क) प्रत्येक व्यक्ति या मेडिकल कॉलेज, उप-धारा (1) के तहत अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से,

केंद्र सरकार खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार एक योजना और केंद्र सरकार

योजना को उसकी सिफारिशों के लिए परिषद को भेजें।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट योजना ऐसे रूप में होगी और उसमें ऐसे विवरण होंगे और उन्हें ऐसी तरीके से प्राथमिकता दी जाएगी और उनके साथ ऐसा शुल्क भी होगा जो निर्धारित किया जाए।

(3) उप-धारा के तहत परिषद द्वारा एक योजना की प्राप्ति पर (2) परिषद संबंधित व्यक्ति या मेडिकल कॉलेज से ऐसे अन्य विवरण प्राप्त कर सकती है जो उसके द्वारा आवश्यक माने जाएं, और उसके बाद, वह -

(क) यदि योजना दोषपूर्ण है और इसमें कोई आवश्यक विवरण नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति या कॉलेज को लिखित सूचना देने का उचित अवसर दें।

प्रतिनिधित्व और यह ऐसे व्यक्ति या मेडिकल कॉलेज के लिए परिषद द्वारा निर्दिष्ट दोषों, यदि कोई हों, को सुधारने के लिए खुला होगा। (ख) उप-धारा (7) में निर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए योजना पर विचार करें और उस पर अपनी सिफारिशों के साथ योजना को केंद्र सरकार को प्रस्तुत करें।

XXXXXX

(7) परिषद, अपनी सिफारिशें करते हुए

उप-धारा (3) के खंड (बी) और केंद्र सरकार, उप-धारा (4) के तहत योजना को मंजूरी या अस्वीकृत करने का आदेश पारित करते समय, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगी, अर्थात्:

(क) प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज हो या मौजूदा मेडिकल कॉलेज एक नया या उच्चतर पाठ्यक्रम खोलने की इच्छा रखता है

अध्ययन या प्रशिक्षण, परिषद द्वारा धारा 19 ए के तहत या स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के मामले में धारा 20 के तहत निर्धारित चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों की पेशकश करने की स्थिति में होगा।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ख) वह व्यक्ति जो मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाहता है या मौजूदा मेडिकल कॉलेज जो नया या उच्चतर कॉलेज खोलना चाहता है। अध्ययन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम या इसे बढ़ाने के लिए प्रवेश क्षमता में पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं।

(ग) क्या उचित सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों, उपकरणों, आवास, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं के संबंध में आवश्यक सुविधाएं हैं।

चिकित्सा महाविद्यालय का संचालन या नया पाठ्यक्रम या अध्ययन या प्रशिक्षण आयोजित करना या बढ़ी हुई प्रवेश क्षमता को समायोजित करना, योजना में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रदान किया गया है या प्रदान किया जाएगा।

(घ) क्या पर्याप्त अस्पताल सुविधाएं, ऐसी संख्या या छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जो ऐसे मेडिकल कॉलेज या अध्ययन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में भाग लेने की संभावना रखते हैं या बढ़े हुए परिणाम के रूप में योजना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रवेश क्षमता प्रदान की गई है या प्रदान की जाएगी;

(ई) क्या ऐसे मेडिकल कॉलेज या अध्ययन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में भाग लेने की संभावना रखने वाले छात्रों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था या कार्यक्रम तैयार किया गया है। मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताएँ होना;

(च) चिकित्सा के अभ्यास के क्षेत्र में श्रमशक्ति की आवश्यकता; और (छ) कोई अन्य कारक जो निर्धारित किए जाएं।

XXXXXX

(बी) भारतीय चिकित्सा परिषद चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना विनियम, 1999 (विनियम)

3. मेडिकल कॉलेज की स्थापना-कोई भी व्यक्ति पूर्व में प्राप्त करने के बाद के अलावा मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं करेगा।

इन विनियमों के साथ संलग्न एक योजना प्रस्तुत करके केंद्र सरकार से अनुमति।

" केंद्र की अनुमति प्राप्त करने के लिए योजना

सरकार एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेगी "

2. योग्यता मानदंड-योग्य व्यक्ति मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे यदि

निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है:

एन. सार्वजनिक स्वास्थ्य और शैक्षिक विश्वास ई. टी. सी. केरल राज्य [कृष्ण मुरारी, जे.]

(1) कि चिकित्सा शिक्षा उद्देश्यों में से एक है यदि आवेदक एक स्वायत्त निकाय, पंजीकृत सोसायटी, धर्मार्थ न्यास और कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियां हैं तो आवेदक।

(2) XXXXX (3) प्रस्तावित स्थल पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना और पर्याप्त मेडिकल कॉलेज की उपलब्धता के लिए राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की कोई आपत्ति नहीं होने के संबंध में फॉर्म 2 में आवश्यक प्रमाण पत्र

संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से व्यक्ति द्वारा प्राप्त। (4) कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए फॉर्म-3 में संबद्धता की सहमति आवेदक द्वारा प्राप्त की गई है

विश्वविद्यालय।

(5) कि व्यक्ति आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ कम से कम 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का मालिक है और उसका प्रबंधन करता है। प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के परिसर में शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जाना।

(6) कि उस व्यक्ति ने प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज में छात्रों को प्रवेश नहीं दिया है।

(7) कि व्यक्ति एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से दो प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रदान करता है जो एक के लिए वैध है

पांच साल की अवधि में, भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के पक्ष में एक सौ लाख रुपये (50 प्रवेश के लिए), एक सौ पचास लाख रुपये (100 प्रवेश के लिए) और दो सौ लाख रुपये (150 वार्षिक प्रवेश के लिए) मेडिकल कॉलेज और इसकी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए और दूसरी बैंक गारंटी क्रमशः 350 लाख रुपये (400 बिस्तरों के लिए), 550 लाख रुपये (500 बिस्तरों के लिए) और 750 लाख रुपये (750 बिस्तरों के लिए) शिक्षण अस्पताल और इसकी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए। बशर्ते कि उपरोक्त

उन व्यक्तियों पर शर्तें लागू नहीं होंगी जो राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश हैं यदि वे कोई वचन देते हैं

समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह से प्रदान किए जाने तक अपने योजना बजट में नियमित रूप से धन प्रदान करना।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(8) किराए के या किराए के भवन में मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल कॉलेज की स्थापना केवल उस उद्देश्य के लिए निर्धारित भूमि के भूखंड पर की जाएगी -

इंगित किया।

6. भारत की चिकित्सा परिषद द्वारा मूल्यांकन

परिषद प्रस्तावित स्थान पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की वांछनीयता और प्रथम दृष्टया व्यवहार्यता के संदर्भ में पहली बार में आवेदन का मूल्यांकन करेगी। इसलिए, यह आवेदक की प्रदान करने की क्षमता का आकलन करेगा

योजना के लिए आवश्यक स्रोत और बुनियादी ढांचा। जबकि

आवेदन का मूल्यांकन करते हुए, परिषद आवेदक से आगे की जानकारी, स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकती है जैसा कि आवश्यक माना जाता है और आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए भौतिक निरीक्षण करेगी।

XXXXXX

(ग) केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय प्रथम संविधि, 2013 (केयूएचएस अधिनियम)

अध्याय 21 खंड 10। संबद्धता का अनुदान

(1) विश्वविद्यालय एक नए कॉलेज के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने के लिए या एक भौतिक निर्माण करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकता है। यदि विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन को अनुकूल माना जाता है तो नए कॉलेज/पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए मौजूद सुविधाओं का सत्यापन। आयोग प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता का निरीक्षण करेगा, प्रस्तावित भूमि (और यदि कोई भवन हो) पर प्रबंधन के स्वामित्व अधिकारों, प्रदान किए गए आवास, प्रबंधन की संपत्ति, पंजीकृत निकाय का गठन, शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने की क्षमता और सभी के संबंध में स्वामित्व विलेखों का सत्यापन करेगा।

अन्य प्रासंगिक मामले। 2) संबद्धता का अनुदान पूर्ति पर निर्भर करेगा।

प्रस्तावित संस्थान/अध्ययन पाठ्यक्रमों की संतोषजनक स्थापना और रखरखाव के लिए यहां निर्दिष्ट या बाद में निर्दिष्ट की जाने वाली सभी शर्तों के प्रबंधन द्वारा और आयोग या आयोग द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट पर जिसे विश्वविद्यालय नियुक्त कर सकता है।

उद्देश्य के लिए।

(5) प्रबंधन कर्मचारियों, बुनियादी ढांचे के संबंध में ऐसी शर्तों और निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार रहेगा।

सुविधा, अस्पताल, इंटरनेट और दृश्य-श्रव्य सुविधाएं,

उपकरण, पुस्तकालय, पढ़ने का कमरा, खेल का मैदान, छात्रावास आदि जो विश्वविद्यालय समय-समय पर लागू या जारी कर सकता है।

कॉलेज तक।

(8) आयोग की रिपोर्ट और अन्य बातों पर विचार करने के बाद

केंद्र और/या राज्य परिषदों या प्राधिकरणों से आवश्यकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद यदि कोई पूछताछ

संबंधित शिष्य और अनिवार्यता प्राप्त करने के बाद

सरकार से प्रमाण पत्र, शासी परिषद यह तय करेगी कि संबद्धता दी जाए या अस्वीकार की जाए

पूर्ण या आंशिक "।

16. इस प्रकार, एक व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त करने से पहले अनिवार्य रूप से एक ईसी की आवश्यकता होती है। द. ई. सी. की आवश्यकता को लागू करने वाली विधायी योजना भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 10 (ए) में निर्धारित की गई है, जिसके लिए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना या अध्ययन या प्रशिक्षण का एक नया पाठ्यक्रम खोलने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति या मेडिकल कॉलेज को केंद्र सरकार को निर्धारित के अनुसार एक योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। केंद्र सरकार तब इस योजना को अपनी सिफारिशों के लिए एम. सी. आई. को भेजती है। चिकित्सा परिषद को इस पर विचार करने और आवश्यक विवरण प्राप्त करके खुद को संतुष्ट करने की आवश्यकता है।

और दोषों को दूर करने के बाद, केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें दें। केंद्र सरकार, प्राप्त होने पर

ऊपर निर्दिष्ट विनियम, एमसीआई अधिनियम की धारा 33 के साथ पठित धारा 10 (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किए गए थे, जो योग्यता मानदंड निर्धारित करते हैं। ये मानदंड मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन करने की पात्रता निर्धारित करते हैं। मानदंडों में से एक यह है कि वह व्यक्ति जो मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का इच्छुक है यह प्रमाणित करते हुए कि राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को प्रस्तावित स्थल पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना और पर्याप्त नैदानिक [2021] 1 एस. सी. आर. की उपलब्धता के लिए

कोई आपत्ति नहीं है, विनियमों के प्रपत्र 2 में निर्धारित एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।

सामग्री। इस प्रकार, राज्य सरकार को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता है कि उसने जनहित में निर्दिष्ट संख्या में सीटों के साथ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है और आगे इस तरह की स्थापना संभव है।

18. फॉर्म 2 जिसमें ईसी प्राप्त किया जाना चाहिए, तथ्यों को इंगित करता है।

जो यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं कि प्रस्तावित महाविद्यालय की स्थापना उचित है या नहीं। प्रपत्र 2 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" प्रपत्र-2 विषय: अनिवार्यता प्रमाण पत्र सं।

सरकार की

स्वास्थ्य विभाग, दिनांकित,

(आवेदक) को, महोदय, वांछित प्रमाण पत्र इस प्रकार है:

(1) राज्य में पहले से मौजूद संस्थानों की संख्या। (2) उपलब्ध सीटों की संख्या या पेश किए जा रहे डॉक्टरों की संख्या

वार्षिक (3) राज्य चिकित्सा में पंजीकृत डॉक्टरों की संख्या

(7) राज्य में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात। (8) महाविद्यालय की स्थापना कैसे हल करेगी

में योग्य चिकित्सा कर्मियों की कमियों की समस्या

राज्य और इस तरह के चिकित्सा श्रमशक्ति की उपलब्धता में सुधार

उन छात्रों पर जो राज्य में अधिवासित नहीं हैं राज्य में प्रवेश निर्दिष्ट किए जाएँ।

(10) प्रस्तावित महाविद्यालय खोलने के लिए पूर्ण औचित्य।

(11) डॉक्टर-मरीज राशन प्राप्त करने का प्रस्ताव है। द (नाम)

एक की स्थापना के लिए आवेदन किया है

व्यक्ति का)

मेडिकल कॉलेज में

सावधानीपूर्वक विचार करने पर

प्रस्ताव, सरकार के लिए

तय

किया है कि

आवेदक को एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करें
एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना

_ (नहीं।)

सीटें। यह प्रमाणित है कि:

(क) आवेदक 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का मालिक है और उसका प्रबंधन करता है।

जिसमें स्थापित किया गया था

ब्याज;

(ग) एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना

द्वारा (द

सोसायटी/ट्रस्ट का नाम) संभव है।

(घ) चिकित्सा परिषद के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री

भारत के मानक उपलब्ध हैं। यह आगे प्रमाणित किया जाता है कि मामले में आवेदक मेडिकल कॉलेज के लिए बुनियादी ढांचा बनाने में विफल रहा

एमसीआई मानदंडों के अनुसार और नए प्रवेशों को रोक दिया जाता है

केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने हाथ में लेगी।

पहले से ही भर्ती छात्रों की जिम्मेदारी

केंद्र सरकार की अनुमति से कॉलेज।

आपका विश्वासपूर्वक, (सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर) "

19. क्या केवल अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाना है

मंत्रिस्तरीय अधिनियमः

निर्धारित प्रपत्र में यह अनिवार्यता प्रमाणपत्र इसके लिए महत्वपूर्ण है

ऐसे मामलों से बचना जहां प्रारंभिक अनुमति देने के बावजूद कॉलेज बुनियादी ढांचा, शिक्षण और अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप पहले से ही भर्ती किए गए छात्रों को गंभीर पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा।

भारतीय चिकित्सा परिषद विनियमों के साथ-साथ केरल विश्वविद्यालय

स्वास्थ्य विज्ञान कानून बहुत जोर देकर आदेश देते हैं कि संबद्धता की सहमति केवल संस्थान द्वारा आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही दी जा सकती है। अपीलार्थी का तर्क कि अनिवार्यता प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति विचार के लिए कारकों में से एक नहीं है और है निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए बाहरी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रदान करते समय,

राज्य सरकार उस संस्थान के संस्थान की स्थापना या उसमें शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ होने की स्थिति में निजी शैक्षणिक संस्थान के दायित्वों को संभालने का कार्य करती है। राज्य सरकार की ओर से ऐसा उपक्रम स्पष्ट और स्पष्ट है। राज्य सरकार द्वारा एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र एक मेडिकल कॉलेज को वैध बनाता है जो इसे चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त घोषित करता है और हितधारकों के बीच इस अपेक्षा को पूरा करता है कि आवेदक कॉलेज बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

मेडिकल कॉलेज शुरू करने और संचालित करने के लिए एमसीआई द्वारा निर्दिष्ट मानदंड।

यह ध्यान में रखते हुए कि एक कॉलेज के उचित अस्तित्व और एक मौजूदा कॉलेज के अनियमित/अवैध कामकाज का सवाल चीजों के एक अलग क्रम से संबंधित है और इसे मिश्रित नहीं किया जा सकता है। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करना/फिर से जारी करना किसी भी तरह से नहीं है। एक मंत्री पद और एक पेशेवर कॉलेज में मानकों को बनाए रखने के मामले से निपटने के लिए सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए क्योंकि ये कॉलेज यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि चिकित्सा स्नातक के पास देश में डॉक्टर के रूप में काम करने के लिए आवश्यक कौशल है। खराब मूल्यांकन प्रणाली; मेडिकल कॉलेजों की बढ़ती संख्या; रोगियों/नैदानिक सामग्री की कमी; प्रवेश में योग्यता का अवमूल्यन, विशेष रूप से निजी संस्थानों में; कैपिटेशन शुल्क में वृद्धि; एक कमजोर मूल्यांकन और मान्यता प्रणाली, हमारी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को प्रभावित कर रही समस्याएं हैं। ऐसे कमी वाले कॉलेजों को काम करना जारी रखने की अनुमति देना।

छात्र समुदाय के भविष्य को खतरे में डालता है और ऐसे कॉलेजों से स्नातक करने के लिए अक्षम डॉक्टरों की ओर ले जाता है और अंततः समाज के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करता है जो बड़े पैमाने पर समाज के उद्देश्य को विफल कर देता है।

राज्य द्वारा जारी आवश्यक प्रमाणपत्र। यदि राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण नहीं करता है कि आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करने/नवीनीकरण करने से पहले एमसीआई द्वारा निर्धारित आवश्यक मानकों को पूरा किया जाता है तो राज्य अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएगा। यह कल्पना का कोई विस्तार नहीं है 'केवल एक मंत्री पद' है। विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करते समय ऐसा करती है कि

मेडिकल कॉलेज आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने में विफल रहता है और केंद्र सरकार द्वारा नए प्रवेश बंद कर दिए जाते हैं, राज्य सरकार कॉलेज में पहले से ही भर्ती छात्रों की जिम्मेदारी लेगी।

विश्वविद्यालय द्वारा सी. ओ. ए. के संबंध में भी यही स्थिति है। केयूएचएस का पहला क़ानून निर्धारित करता है कि विश्वविद्यालय एक की नियुक्ति कर सकता है

प्रस्तावित स्थल की वर्तमान सुविधाओं और उपयुक्तता का भौतिक सत्यापन करने के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने के लिए आयोग। संबद्धता का अनुदान उन सभी शर्तों की पूर्ति पर निर्भर करता है जो हैं -

प्रथम प्रतिमाओं के खंड X (I) में निर्दिष्ट या जिसे निर्दिष्ट किया जा सकता है जिसमें कर्मचारी, अवसंरचना सुविधा, अस्पताल, इंटरनेट, पुस्तकालय, खेल का मैदान, छात्रावास आदि शामिल हैं। अतः विश्वविद्यालय द्वारा सी. ओ. ए. का अनुदान भी नहीं दिया जा सकता है।

कहा जाता है कि यह केवल एक मंत्रिस्तरीय कार्य है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग और विश्वविद्यालय द्वारा सी. ओ. ए. का अनुदान केवल एक अनुदान नहीं है।

मंत्री अधिनियम और हम इस संबंध में अपीलार्थी के तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

एन. सार्वजनिक स्वास्थ्य और शैक्षिक विश्वास ई. टी. सी. केरल राज्य [कृष्ण मुरारी, जे.]

20. क्या एक बार जारी किया गया अनिवार्यता प्रमाणपत्र हो सकता है

खींचा गया:

चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज में इस न्यायालय के फैसले पर लॉन्ट के विद्वान वकील द्वारा बहुत जोर दिया गया है)। उक्त मामले में, मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक वर्ष 2011-2012 के लिए अनुमति दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप पहले को भर्ती किया गया था। हालाँकि, इसे बाद के वर्षों 2012-13 और 2013-14 के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र से वंचित कर दिया गया था। इन परिस्थितियों में यहटी निम्नलिखित रूप में देखा गया:

" किसी भी प्राधिकरण को अनुमति देना अनुज्ञेय नहीं होगा, जिसमें

राज्य सरकार जो केवल एक अनिवार्यता जारी करती है प्रमाण पत्र, किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने की अनुमति प्राप्त मेडिकल कॉलेज के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रभाव डाल सकता है। यह राज्य सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती है। इसके अलावा, अनिवार्यता प्रमाण पत्र का उद्देश्य प्रमाणित करने तक सीमित है।

केंद्र सरकार को यह बताना कि एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना आवश्यक है। यह इससे आगे नहीं जाता है। दूसरे शब्दों में, एक बार जब राज्य सरकार प्रमाणित कर देती है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना उचित है, तो वह बाद के चरण में यह नहीं कह सकती है

कि महाविद्यालय की स्थापना का कोई औचित्य नहीं था। निश्चित रूप से, एक व्यक्ति जो राज्य सरकार के आश्वासन पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करता है कि

प्रतिष्ठान को बाद के चरण में उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि उसे ऐसा करने की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं था। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करने के बाद इसे समाप्त माना जाना चाहिए, बेशक धोखाधड़ी के मामलों को छोड़कर। इक्विटी के नियम और

निष्पक्षता और प्रतिज्ञात्मक अवरोध इस न्यायालय को अनुमति नहीं देते हैं

21. पैराग्राफ 36 में यह देखा गया था: " हम शायद यह निर्धारित नहीं कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में अनिवार्यता प्रमाण पत्र को वापस नहीं लिया जा सकता है। राज्य सरकार इस तरह के प्रमाण पत्र को वापस लेने की हकदार होगी जहां यह धोखाधड़ी करके प्राप्त किया जाता है।

ऐसी परिस्थिति जहाँ बहुत ही उपस्तर जिस पर अनिवार्यता प्रमाण पत्र दिया गया था गायब या कोई अन्य

समान प्रकृति का कारण। "[2021] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज (सुप्रा) के मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर सुख सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम राज्य सरकार के मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया। मध्य प्रदेश और ओआरएस। रिपोर्ट के पैराग्राफ 13 में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने हालांकि चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज (सुप्रा) के इस कथन से सहमति व्यक्त की कि ईसी जारी करने में राज्य का कार्य एक अर्ध-न्यायिक कार्य है। इसने आगे चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज (सुप्रा) के मामले में बनाए गए अपवाद पर ध्यान दिया, जिसमें राज्य सरकार अनुच्छेद 36 में निर्वाचन आयोग को रद्द/रद्द/वापस ले सकती है। अंत में सुख सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (सुप्रा) की रिपोर्ट के पैराग्राफ 25 में इसे निम्नानुसार देखा गया:

" 25. हम चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज (सुप्रा) में दर्ज किए गए दृष्टिकोण और निष्कर्ष से अवगत हैं। भले ही उस मामले में तथ्य की स्थिति समान प्रतीत हो सकती है, लेकिन हमारी राय में, वर्तमान जैसे मामले में, जहां अनिवार्यता प्रमाण पत्र के पीछे की भावना के रूप में जारी किया गया है

के रूप में वापस 27.08.2014 द्वारा अधूरा रहा है

अपीलार्थी-एमसीआई द्वारा बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद, इस पूरी अवधि (लगभग छह वर्ष) के लिए कॉलेज, जैसा कि मूल्यांकन रिपोर्ट में सारांश/अवलोकन से देखा गया है, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि अनिवार्यता जारी करने के लिए आधार

प्रमाणपत्र पूरी तरह से गायब हो गया है। राज्य सरकार से पांच साल की अवधि से बहुत कम समय के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जिससे क्षेत्र में छात्र समुदाय के हितों पर प्रभाव पड़ता है और डॉक्टर रोगी अनुपात में वृद्धि होती है और गंभीर कमियों के कारण संलग्न अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा से इनकार किया जाता है। हमारे विचार में ऐसी स्थिति को अपवादात्मक श्रेणी में आना चाहिए, जहां राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।

अंतराल की स्थिति को पूर्ववत करने और संबंधित इलाके में या राज्य के भीतर एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए एमसीआई द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों/मानदंडों को पूरा करने में सक्षम किसी अन्य संस्थान को एक खिड़की प्रदान करने के उपाय। बिना किसी और प्रयास के, हमारा विचार है कि अपीलार्थी-महाविद्यालय अब तक एक असफल संस्थान है और सक्षम नहीं है।

साल दर साल अधिक चिकित्सा कर्मी तैयार करने के लिए छात्र समुदाय और बड़े पैमाने पर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना।

6 (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 851 वी. एन. सार्वजनिक स्वास्थ्य और शैक्षिक विश्वास ई. टी. सी. वी. केरल राज्य [कृष्ण मुरारी, जे.]

विषय जारी करने के पीछे की भावना के अनुसार वर्ष आधार

आवश्यक प्रमाणपत्र दिनांकित 27.08.2014। इस हद तक, हम सम्मानपूर्वक चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज (सुप्रा) में लिए गए दृष्टिकोण से अलग हैं।

आइए हम यह स्पष्ट करें कि चिंतपूर्णी मामले (सुप्रा) के तथ्यों और वर्तमान मामले के बीच कोई समानता नहीं हो सकती है। द सुख सागर मामला (सुप्रा) ने वास्तव में उन परिस्थितियों का विस्तार किया जिनमें

राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को वापस ले सकती है। सुख सागर (सुप्रा) की उक्ति वास्तव में उत्तरदाताओं के मामले का समर्थन करती है।

23. इस प्रकार कानून यह तय करता है कि राज्य सरकार के पास चुनाव आयोग को वापस लेने की शक्ति है जहां यह धोखाधड़ी करके प्राप्त किया जाता है या जहां वही आधार गायब हो जाता है जिस पर चुनाव आयोग को मंजूरी दी गई थी या इसी तरह का कोई अन्य कारण है।

24. हाथ में मामले में, भले ही शुरू में एक सशर्त ईसी वर्ष 2004 में कमियों को दूर करने के अधीन दिया गया था और तब से

तब 17 साल बीत गए, अपीलार्थी कमियों को दूर करने में असफल रहा है। अंतिम संयुक्त निरीक्षण का संदर्भ दिया जा सकता है।

07 नवंबर, 2020 को किया गया, जिसमें कई कमियों को नोट किया गया और वर्ष 2021-2022 के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए सुविधाएं अपर्याप्त पाई गईं। सबस्ट्रेटम के गायब होने के मामले में जो सच है वह समान बल के साथ लागू होता है जहां सबस्ट्रेटम शुरुआत से ही गायब है।

26. एक बार फिर वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर लौटते हुए, अपीलार्थी संस्थान का निरीक्षण किया गया। 09.11.2020 और निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

" आई.

बुनियादी ढांचा

मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए पूरी तरह से सुधार की आवश्यकता है।

आई.

भवन का निर्माण पूरा नहीं हुआ है।

II.

उपकरण

आई.

थिएटर, कपड़े धोने, प्रयोगशाला में परिष्कृत उपकरणों की आवश्यकता होती है।

हिस्टोपैथोलॉजी और रेडियोलॉजी।

ii.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यावहारिक प्रयोगशालाएँ-उपलब्ध I (आवश्यक 3)

iii.

पत्रिकाएँ-शून्य

iv.

आई. सी. यू./आई. सी. सी. यू./पी. आई. सी. यू./एन. आई. सी. यू./एस. आई. सी. यू./प्रसूति आई. सी. यू./आई. सी. यू. -

वी.

उपलब्ध 18 बिस्तर (आवश्यक-60 बिस्तर)

एक्स-रे मोबाइल इकाई-उपलब्ध 1 (आवश्यक 2)

vi.

घर में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और दूरी उपलब्ध है।

vii.

अधिकांश आवश्यकताएँ सूक्ष्म जीव विज्ञान के लिए स्रोत से बाहर हैं और पैथोलॉजी प्रयोगशालाएँ।

III. नैदानिक सामग्री

रिकॉर्ड के अनुसार, यह स्पष्ट नहीं है कि 300 बिस्तरों वाला अस्पताल (एनएमसी मानदंड) पिछले 2 वर्षों से चल रहा है या नहीं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि अस्पताल 2019 से ही काम कर रहा है। निरीक्षण के दिन, बिस्तर की क्षमता केवल 30 प्रतिशत है। ओ. पी. डी. की आवश्यकता 600 है और दिन में केवल 200 से कम उपस्थिति होती है।

निरीक्षण।

IV. संकाय की कमियां

निम्नलिखित संकाय कमियों को नोट किया गया:

विभाग में एक प्रोफेसर। जैव रसायन।

आई.

एसोसिएट प्रोफेसर-8 (एनाटॉमी-1, फिजियोलॉजी-1,

ii.

फार्माकोलॉजी-1, पैथोलॉजी-1, जनरल मेडिसिन-1, ऑर्थोपेडिक्स-1, एनेस्थीसिया-1, रेडियोडायग्नोसिस-1)

सहायक प्रोफेसर-11 (शरीर रचना विज्ञान-2, शरीर विज्ञान-3, फोरेंसिक)

111 .

चिकित्सा-1, सामुदायिक चिकित्सा-1, सामान्य चिकित्सा-1, श्वसन चिकित्सा-1, ओ. बी. जी.-1, एनेस्थेसियोलॉजी-1)

ट्यूटर/डिमॉस्ट्रेटर/एस. आर.-29 (एनाटॉमी-4, फिजियोलॉजी-2,

iv.

बायोकेमिस्ट्री-4, पैथोलॉजी-1, माइक्रोबायोलॉजी-1, फॉरेंसिक मेडिसिन-1, जनरल मेडिसिन-3, पीडियाट्रिक्स-1, पल्मोनरी मेडिसिन-1, डीवीएल-1, साइकियाट्री-1, जनरल सर्जरी-3, ईएनटी-1, ओबीजी-2, एनास्थेसिया-1, रेडियोडायग्नोसिस-1, डेंटिस्ट्री-1)

4. कुल संकाय की कमी 32 प्रतिशत और शिक्षक/शिक्षक की कमी है।

78 प्रतिशत प्रदर्शनकारी/एस. आर. की कमी।

27. अपीलार्थी संस्था को इसके बारे में विधिवत सूचित किया गया था

एजेंसियां उनकी टिप्पणियों की मांग कर रही हैं।

वी. एन. पब्लिक हेल्थ एंड एडुकेशनल ट्रस्ट ई. टी. सी. के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। केरल राज्य [कृष्ण मुरारी, जे.]

28. हाथ में मामले में, अनिवार्यता प्रमाण पत्र पहली बार वर्ष 2004 में जारी किया गया था और 17 साल से अधिक समय बाद अपीलार्थी कॉलेज एमसीआई से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता संस्थान लंबे समय से अपनी जिम्मेदारी से बचने और एम. सी. आई. के समक्ष संबद्धता की सहमति और विलंबित अधूरे आवेदनों पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त करके न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से कमी को भरने की कोशिश कर रहा है। दोनों में 2015 और 2020 में निरीक्षणों में यह पाया गया कि अपीलकर्ता संस्थान में उचित सुविधाओं का अभाव है। भले ही अपीलार्थी 2006 से अस्पताल चलाने का दावा करता है, न तो पर्याप्त सुविधाएं और न ही निरीक्षण पर बुनियादी ढांचा मौजूद पाया गया। यह अभावपूर्ण रवैया है

इस तथ्य का प्रमाण है कि अपीलार्थी की उस स्थान पर अस्पताल चलाने में कोई वास्तविक रुचि नहीं है और एमसीआई के समक्ष ईसी, सीओए या उसके आवेदनों की अस्वीकृति पर उसे गलत कहने का कोई आधार नहीं है।

29. इस मामले का एक और पहलू यह भी है कि न केवल शिक्षण संकाय सहित उचित सुविधाएं और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से उचित है।

आवश्यक है लेकिन समय सारिणी का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मृदुल धर (नाबालिग) और अन्र के मामले में यह न्यायालय। बनाम भारत संघ और अन्य। ' पैराग्राफ 13 में कहा गया है:

" इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि शिक्षण संकाय और डॉक्टरों सहित उचित सुविधाएं और बुनियादी ढांचा बिल्कुल आवश्यक है और इसलिए शिक्षण प्रदान करने के लिए समय सारिणी का पालन भी आवश्यक है।

उच्चतम मानकों को समुदाय के लिए उपलब्ध कराना

सर्वोत्तम संभव चिकित्सक "।

30. 1999 के विनियमों के विनियम 8 (3) में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए आवेदनों की प्राप्ति के लिए एक अनुसूची प्रदान की गई है।

केंद्र सरकार और भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा आवेदनों का प्रसंस्करण।

31. के लिए नियमों के तहत निर्धारित प्रारंभिक समय अनुसूची

2015 में मेडिकल कॉलेज विनियम (संशोधन), 2015 की स्थापना के माध्यम से एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना में संशोधन किया गया था। उक्त संशोधन ने निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया: 7 (2005) 2 एससीसी 65 [2021] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवेदनों की प्राप्ति के लिए समय अनुसूची

नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना/नवीनीकरण

आवेदनों की अनुमति और प्रक्रिया

केंद्रीय सरकार और चिकित्सा द्वारा

भारत की परिषद

आईएसआई।

प्रक्रिया का चरण

अंति

म तिथि

नं.

15 जून से 7

जुलाई के बीच

केंद्र सरकार द्वारा आवेदनों की प्राप्ति

1 .

(दोनों दिन

सम्मिलित) किसी भी

वर्ष

15

जुलाई तक

केंद्र सरकार द्वारा आवेदन अग्रेषित करना

2 .

भारतीय चिकित्सा परिषद।

15

दिसंबर तक

तकनीकी जांच, मूल्यांकन और सिफारिशें

3 .

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अनुमति पत्र के लिए

14 .

प्राप्त होने के दो महीने तक आवेदक से जवाब/अनुपालन की प्राप्ति

केंद्र सरकार और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए, यदि एमसीआई से सिफारिश की जाती है

कोई भी, और केंद्र द्वारा अनुपालन का अग्रेषण लेकिन 31 जनवरी से आगे नहीं

सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद को

30

अप्रैल तक

5 .

द्वारा अनुमति पत्र के लिए अंतिम सिफारिशें

भारतीय चिकित्सा परिषद

31

मई तक

6 .

केंद्र सरकार द्वारा अनुमति पत्र जारी करना।

32. बार-बार, इस न्यायालय ने उस समय अनुसूची पर जोर दिया है

या तो नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए या मौजूदा कॉलेजों में प्रवेश बढ़ाने के लिए सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्ष 2020-2021 के लिए एक नया मेडिकल कॉलेज शुरू करने की प्राप्ति में निर्धारित समय सारिणी पहले ही समाप्त हो चुकी है।

पीछे की ओर। यहां तक कि मौजूदा कोविड-19 महामारी को देखते हुए शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 की अंतिम तिथि भी अब समाप्त हो गई है, जिसे 15.12.2020 तक बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार विश्वविद्यालय की राज्य सरकार को वर्ष 2020-2021 के लिए अपीलार्थी को ई. सी. या सी. ओ. ए. जारी करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा सुझाव दिया गया है।

33. ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए,

शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए अपीलार्थी द्वारा मांगी गई राहत प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तदनुसार, अपील विफल हो जाती हैं और कायम रहती हैं।

बर्खास्त कर दिया। अपीलार्थी के लिए अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए ई. सी. और सी. ओ. ए. के अनुदान के लिए एक उपयुक्त आवेदन करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

कथित कमियों को दूर करने के बाद समय सारिणी के अनुसार संबंधित प्राधिकरण और यदि ऐसे कोई आवेदन किए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटारा किया जाएगा।

34. इन परिस्थितियों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

दिव्या पांडे